I. ..STATUTORY .. RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD ORDINANCE, 1984

II. THE NATIONAL CAPITAL RE- ..GION PLANNING BOARD BILL, 1985

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Both the Statutory Resolution and the Bill can be discussed together. First, the Hon'ble Member may move the Resolution.

SHRI SHANKER SINH VAGHELA (Gujarat): I move:

"That this House disapproves of the National Capital Region Planning Board Ordinance, 1984 (No. 11 of 1984) promulgated by the President on the 19th October, 1984."

एन० सी० आर० की चर्चा चल रही है। सबसे पहले 1958 में एक मास्टर प्लान अमल में आया था। इसके बाद 1961 में भी एन० सी० आर० की चर्चा चली। फिर 1973 में भी यह बात आई। आज 15 साल के बाद फिर से एन० सी० आर० अपनी लम्बी मन्जिल काट कर यहां तक पहुंचा है। यह बिल क्यों लाया गया है? कैपिटल रीजन प्रोजक्ट को बढ़ा करके शहर की जो आबादी होती है उसको ठीक ढंग से कंट्रोल करने के लिये ताकि शहर बढ़िया बनें, लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए यह एन० सी० आर० की बात लायी गयी है। लेकिन इसके पहले बगल के जो शहर थे इनके विकास की भी बात की गयी है। दिन ब दिन जो शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है बेसिकली यह गलत बात है। महात्मा गांधी जी की बात थी कि हिंदुस्तान गांवों में बसता है और शहरीकरण कम होना चाहिए। स्माल इज ब्यूटीफुल लेकिन यह बात अमल में नहीं लायी गयी है। एक चीज के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा। शहरों पर दबाव क्यों बढ़ता है? जब बगल का जो गांव का इलाका होता है वहां किसानों की जमीन को लेने के बाद वहां किसानों का जो आधार होता है खेती का वह मिट जाता है फिर इनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है। फिर किसान अपना कुनबा लेकर कहाँ जाएगा? शहर में, और शहर में जाएगा तो झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ेंगी, पाल्यूशन बढ़ेगा। धीरे-धीरे ऐसा शहरों में होता है। गन्दी बस्तियां बहुत हो जाती हैं, झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ जाती हैं और इनके लिए न सैनीटेशन की सुविधा होती है न पानी की सुविधा होती है न बिजली की सुविधा होती है न रास्तों की सुविधा होती है। ट्रैफिक आदि प्राब्लम हो जाते हैं। आज शहरों में ये सब प्राब्लम बढ़ गये हैं जैसे कलकत्ता में देखिये, बम्बई मद्रास में देखिये, दिल्ली की हालत देखिये। इनकी हालत सुधारने के लिए बगल के राज्यों, हरियाणा, राजस्थान में भी अपने राज्यों में प्रस्ताव करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है हम भी आपसे कोआपरेशन करेंगे दिल्ली की जो पापूलेशन है, आज मेरा ख्याल है 75 लाख तक पहुंच गयी है। अब 2000 ए० डी० की बात करें, तो दिल्ली 20 मिलियन से भी और बढ़ जाएगी और उसकी केपेसिटी 10 मिलियन और 30 मिलियन—आप उसकी पेरिफरी देखिये, 13 मिलियन से ज्यादा उसकी केपेसिटी नहीं है। 20 मिलियन की केपेसिटी में दिल्ली की क्या हालत होगी, आप देख सकते हैं। तो यह जो जमीन लेने वाले

[Shri Shanker Sinh Vaghela]

हैं, वह जमीन का जो विशियस सर्कल बनता है कि यह जमीन ली लोग बेकार हुए, लोग शहरों में आए, झुग्गी-झोंपड़ी बढ़ीं और जिस किसान की आप जमीन लेंगे, वह जमीन भी आप मार्केट रेंट के ऊपर इसका मुआवजा दें, अदरवाईज एक, दो, तीन या चार साल चक्कर चलता है, इसके पीछे कोई देखने वाला नहीं है। तो जिसके लिए यह डेवेलपमेंट होता है, वह सिर्फ शहरीकरण है, या यह गांव में जो रहता है, उसके जिम्मे भी कुछ आता है? अगर अब यह चलेगा, तो किसान—न तो वह मकान की परमिशन ले सकता है, न अपनी इंडस्ट्री या कारखाना बनाने के लिए परमिशन ले सकता है, सब इस एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड के पास चला जाएगा। तो एक किसान को ध्यान में रख कर—गांव टूटता है तो खेती और खेती पर आधारित जो मजदूर हैं, वह मरते हैं, इसकी बात भी इसमें आनी चाहिए, जो बात इसमें नहीं है और उसको जो मुआवजा देना है, वह भी मार्कट रेट के ऊपर दिया जाए और इसकी एक्सीक्यूशन का पावर, मैं समझता हूं कि अगर राज्यों को दिया जाए कि एक गांव उठा कर कहां बसाना है, तो दिल्ली रीजन के अलावा जो स्टेट होगी, उसको ज्यादा पता होगा कि यह जो गांव है, इसको उठा कर यहां से वहां बसाया जाए, जहां अच्छी जमीन हो, जहां अच्छी काश्तकारी हो। तो किसान को ऐश्योर करने के लिए एक्सीक्यूशन पावर भी होनी चाहिए। वह भी पावर्ज अगर राज्यों के पास हों, तो अच्छा रहेगा, डीसेंट्रलाइजेशन ठीक रहेगा। ऐसी बात करके इसमें ट्रैफिक का ख्याल करना है, रेलवे, पानी और बिजली—आज भी बिजली और पानी की कमी दिल्ली महसूस कर रहा है। तो पानी, बिजली और इनकी शैल्टर जो मिलता है, मकानों की बात है और आखिरी जो होता है, उनकी सैनिटेशन, हाईजीन. वह भी इसमें एड करके अच्छा एन० सी० आर० प्लानिंग बोर्ड, जो लोगों की अपेक्षा है, बनाया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI]: Now the Resolution has been moved. I request the honourable Minister to move the Motion for the consideration of the National Capital Region Planning Board Bill.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI ABDUL GHAFOOR) : Madam, I beg to move:

"That the Bill to provide for the constitution of a Planning Board for the preparation of a plan for the development of the National Capital Region and for co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for the control of land-uses and development of infrastructure in the National Capital Region so as to avoid any haphazard development of that re-gion and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Madam. I am very glad that my honourable friend, who has moved the Resolution, has indirectly supported what I have to say before the Rouse.

Madam, the Bill seeks to achieve the objective of setting up of a statutory authority for the National Capital Region which will be responsible for planning, monitoring and development of the Region and to evolve a harmonized policy for the control of the land-uses and development of infrastructure in the Region in order to achieve a balanced growth of the Region and prevent haphazard urbanisation.

The National Capital Region comprises an area of about 30,000 sq. kms. which includes parts of Haryana, Rajasthan. U.P, and the whole of the Union territory of Delhi. The population of Delhi Metropolitan Area was 7.1 million in 1981. If the present trend continues, the population of this area will be roughly 20 million in the year 2001 AD. The expected population rise highlights the need for regulation of the growth in the National Capital Region and also for ensuring that the basic services such as water supply, sanitation, electricity, transport, shelter and other facilities are properly distributed and maintained. This would require careful planning and execution of a scheme for the benefit of the entire Region and the areas around it. It is in this background that the present legislation has been brought forward after consulting the State Governments of Haryana, Rajasthan and U.P. and after necessary authorisation by these State Legislatures under article 252 of the Constitution.

I would make it clear that there would be no interference with the functioning of the States concerned and the objective is to launch a combined effort to develop the Region as a whole.

With these words, Madam, I commend the Bill for the acceptance *ot* the House.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN [DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI] : Any Member desirous of speaking may kindly speak. Now, I 'call Dr. Shanti Patel to speak.

DR. SHANTI G. PATEL (Maharashtra): Madam Vice-Chairman, I rise to welcome this particular Bill. While welcoming this Bill, I would like the • House to look at the scenerio which we are having at this point of time. We find that 24 per cent of the population living in the urban areas are scattered in various towns all over the country. If we look at the cities as a whole or any city or any town for that sake, what do we find? We find slums and transport a nightmare. Electric supply, we call it functioning, but we have experienced it only yesterday in this capital, where, it was dislocated for 4-5 hours. So you can imagine as to what must be happening in other urban areas of the country. I would just like to refer also to the water supply. Not merely it is not in the quantity in which it should be, but we find even in the city of Delhi a large number of people going without water.

[The Vice-Chairman (Shri t^d Rahmat Ali) in the Chair.]

Even if you take a premier city like a commercial, premier city as Bombay, there also we find a large population without water or even if water is available it is in such a condition that it can only be called non-drinkable. The sewerage also is in shambles. It is fifty or hundred years old at some places. It is over-flowing and leading to all types of diseases, which could be prevented if the sewerage is taken care of properly.

Sir, we have slums to the extent ot 33 millions in this country. And this is a course on this country. This is a boil which needs to be properly

[Shri Shanti G. Patel] cured in time. Otherwise it is going to devour the whole country. I remember the words of the late Chief Minister, Dr. Bidhan Chandra Roy, of West Bengal. He had urged upon the then Prime Minister of the country, Shri Jawaharlal Nehru, to please take care of Calcutta; if you do not take care of Calcutta it will not merely breed diseases but also breed extremism. And we have found that this is one place where extremism has grown. If you do not take care of these cities, urban areas, particularly slums and the like, I am afraid, Sir, that whatever we may try to do in other spheres will, be overtaken by what will be coming out of these slums in the form of extremism and a number of bad effects which are likely to follow. If there is one cause of violence, increasing violence, I think that one cause also is bad living conditions in the cities.

Same thing also is in the case of pollution. Sir, we have been thinking in terms of transport, (Motor Vehicles), industrial development and what not. But we have to see that when we do something good we do not do something bad and that the remedy may not be worse than the disease itself. So we have to take care of this. The Bhopal tragedy is still with us. We have to be very Care as far as industrialisation is con-cerriea.

Transport is also equally important. Sir, I am afraid that the planners or those In charge of transport have been looking at the transport from the point of view of a private car driver. They do not try to look at transport from the point of view of public system. The West which tried to follow this policy has realised at last that this is not the right policy and they are trying to reverse it, leaving a number of areas right in *the* centre of the city as open areas not accessible to the transport system or to any vehicle. This should be the approach.

I would like to give an example of Delhi. It is a matter of shame that the Government which sits in Delhi has been responsible for the ruinous condition of this city. This was the city which was having the highest number of trees per kilometre. This position does not exist now. What do you find? Right in Cannought Place, a concrete jungle has come up in place of greenery. What do you see there or near tbe Parliament House? Big sky scrappers or multi-storeyed monstrosities are coming up. We are taking of a new regional plan. Does it fit into this thinking or approach? If you want to save Delhi, the first thing is that you ban the sky scrappers in the city. Still ft can be done. Those who have permitted the sky scrappers to be built should be told: "Thus far and no farther". If yon build offices, it increases commerce and industry. I would say with all sense of responsibility that this increase in commercial offices has been encouraged with political patronage right in the city of Delhi amd a number of buildings and hotels have been allowed to come up. This is something which was preventable. We may blame the Britishers. I fought the Britishers. I was feeling that many things could be improved. The British left a nice heritage in the form of Delhi. Good architecture, nice greenery and trees on both sides of roads. What have we done? We are cutting down those trees and putting up big buildings for offices. Before we go in for this regional plan, can we not do one thing? Can we not shift offices? Even at this stage, I would request the hon. Minister to apply his mind and take a firm decision that a number of Government offices in this city should be sent out if they are not required in this city. They should be taken out of the region. I should say that they should be cattered all over the country. They can go to the central region. We have turned this capital city into an industrial and commercial city.

Now, this plan for about 20 million people in this National Capital Region has taken its time. In fact, Delhi has been allowed to decay by following this policy of building sky scrappers for commercial

and industrial motives. There should be a scientific approach which should have been adopted a long time back. In 1961, a high-powered body was formed. In 1962, an effort was made in that direction. But what do we find, The Delhi Master Plan was prepared and there was a provision for regional planning in that After 25 years, we are again trying to have a plan which will be implemented thereafter. There is one thing in that also. Suppose any agency or any power for that matter says 'no to the plan and goes against the plan, what is the power given to the Government under the law? They will send notices and nothing else or they may stop or discontinue the loan or grant which may have been agreed to. I don't think that this is going to be enough. There has to be more stringent, stricter punishment so that everybody falls in line with the planned approach. The machinery that would be for planning, monitoring and developing this region is going to be a Board, the Central Regional Planning Board. I have also worked on the Bombay Regional Planning Board. I have some experience of tills particular approach. I can say that this (National Capital Region Board) is a body of bureaucrats and Ministers. There are no experts. Those experts who are there are also from their service, the town planners who are serving with the Government But no independent approach is sought to be taken. We must have experts. Under this law, the Government have the power of co-option. May I request the Government that at least under this co-option they take experts, not the town planners who are in the employ of the Government but those who are outside, the architects and other experts, and those persons who have experience in the municipal working? All these could be absorbed and could be made a part of the planning board as well as the planning committee. Sir, I remember that the Bombay Regional Planning Board produced a plan. It was suggested not , by the official people but by outside persons who came forward with an idea of a new Bombay, a counter-magnet for the existing Bombay. This came from an architect, who is now an international architect, Mr. Charles Correa, and his friends. I am referring to this because there is no effort to take co-operation —now the Government has been talking in terms of co-operation and all that—from these experts, from these bodies to have an appropriate plan.

Sir, as I was explaining, if we have reached a stage of ruin in Delhi or other cities, it is because of the incompetence, the political corruption, unplanned growth and other things which have entered into dealing with this urban planning. Whenever land question comes up, there are political interests coming up in the country. They try to manipulate the prices in such a way that we have the highest prices at present all over the country. A recent study shows that the land price in Bombay per acre is Rs. 15,000 and in Delhi it is Rs. 4,500 and even more depending on the area and locality. Now, the one thing which needs to be controlled is this. I know, that the Ordinance was issued because there is no rise in the land price and for some other good purposes it was issued. I welcome that. But, Sir, that does not mean that we should follow a policy which will ultimately go against the interests of the people.

Sir, I take a few more minutes because it is something which is very important not merely for the cities but for the whole country.

I request the Government to come out with an urbanisation policy. Even after 37 years of independence, we have nothing like an urbanisation policy. A number of areas in the country are getting urbanised. As we industrialise, the inevitable consequence of this is urbanisation. What is the policy in this regard? Do we plan in advance as to what things are going to be required, now we are going *to* provide resources, how we are going to mobilise resources, etc? No thought has been given to this aspect and that is why these slums and areas like these have been increasing from day to day. I would, therefore, time that if you want to change the present situation, then it is very necessary that we change the whole approach of our thinking.

Sir, I know the real remedy to the urban problems lies in the villages. It is the rural area which is responsible for overcrowding in the cities because there is excess labour and there is no means of livelihood available in the rural areas. So, naturally there is this crowding to the cities. They come in search of employment. Some get livelihood. Some do not get anything. They get no shelter and they sleep on streets and all these things are created. It is very unfortunate. But this is something which can be prevented if you follow on one side the right policies n the rural areas so that we are able to provide employment. I am told that about two lakhs of people migrate to Delhi every year and 30,000 *jhuggis* are coming up every year.

If this state of affairs is to be 4 P.M. prevented, I think the right approach that ha* been touched in this plan, is to have countermagnets outside. I do not know how far the ring towns are going to be helpful. They can be helpful upto a point, hot beyond that. Counter-magents at other places can be created where the rural people can be attracted so that they do not come to Delhi. That is what we have to aim at

While concluding I would say that if we want to change the prevent picture, whether of Delhi or of any other city where we want areas of excellence—because we say that we have got 5-star hotels and number of things, we should not forget the fact that we have also at the same time created areas of degradation and if these areas of degradation are to be got rid of, it is very necessary that we follow a right policy. I would urge the Minister to move with an iron hand and deal strenly and stop immediately the construction of sky-scrappers, shift offices, provide housing and improve the slums and say that we shall not have more offices or industries in the city of Delhi or the region of Delhi.

Thank you.

'= **श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) :** महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का जो बिल यहां लाया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल अब के पहले आ जाना चाहिए था । इस योजना के बारे में बहुत दिनों से सोचा जा रहा था और आज से करीब दस साल पहले यह दिमाग बन चुका था कि इस बिल को लाना है। लेकिन राज्यों की अपनी परेशानियों की वजह से या किन्हीं और वजहों से यह देर से आया। लेकिन इस से पहले इस को आना चाहिए था।

मैं माननीय मंत्री जी से जो कुछ मेरे एप्रीहेंशंस हैं, जो मेरी शंकायें हैं उन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इरादा बहुत अच्छा है। नतीजे अच्छे निकलें इस की कोशिश होनी चाहिए। मुझ को परेशानी हो रही है एक चीज से, क्योंकि मैं खुद उस इलाके से आता हूं कि जो इस के तहत आता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब ऐसा वाजिब वक्त आ गया है कि जब यह तय हो जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान की सरकार की शहरीकरण की नीति क्या हो। हम किस तरह के शहर चाहते हैं? क्यों शहर चाहते हैं और किस हद तक शहर चाहते हैं और इस का ताल्लुक नियोजन से और आर्थिक नीति से है आज शहर बन और बस क्यों रहे हैं? आज शहर का मतलब है कि जो गांव के उजड़े हुए लोग हैं, जिनका गांवों में गुजर नहीं हो रहा है, जिन के पास गांव में रोजगार नहीं है वह नौकरी और रोजगार के लिए शहरों में आ रहे हैं और वहीं शहरों की आबादी को बढ़ा रहे हैं चाहे वह लोग कस्बों में आ कर रहें या जिला हेड क्वार्टर में या दिल्ली में आ कर जमा हो जायें या सूबाई राजधानियों में आ कर इक्ट्ठे हो जायें और गांवों में जो खाते पीते लोग हैं वे वहां असुरक्षा की भावना से भागते हैं, वहां इलाज की कमी की वजह से भागते हैं, बच्चों की उचित शिक्षा न होने की वजह से भागते हैं, अपने बच्चों को पूरी तालीम न दे पाने की वजह से भागते हैं। कुल मिला कर गांव से भगदड़ मची हुई है और शहरों में लोग

[श्री सत्य पाल मलिक]

आ आ कर बस रहे हैं तो पूरे नियोजन में इस की बाबत अगर नहीं सोचा गया तो हिन्दुस्तानी शहर गंदी बस्तियों के और उजड़े गांवों का देश हो जाएगा। यह जो बुनियादी बात है इस को हमें सोच लेना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के चारो ओर का 30 हजार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आप इसमें ले रहे हैं। लकिन क्या इस बात पर सोचा गया कि जो जिले लिये गये है इस में उन की किस किस जमीन का आप शहरी करण करेंगे। मुझे यह जान कर अच्छा लग रहा है कि इन इलाकों का विकास होगा, लेकिन यह जान कर अफसोस और शंका भी है कि जो जिले इसमें लिये गये है कम से कम मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलो की बाबत कह सकता हूं कि मेरठ, गाजियाबाद और बुलन्दशहर सब से ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले जिले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई गारंटी है कि जो खेती की जमीन है, जो जरखेज जमीन है जो हरियाली की जमीन है, सिंचित जमीन है उस जमीन में किसी किस्म की बाधा नहीं पड़ने दी जायेगी और यह बात हम को साफ कर देनी चाहिये। केवल वही इलाके जो अनुपजाऊ है, जो बंजर है, जो मैदान है, जो रेह के इलाके है सिर्फ उन का ही शहरीकरण होगा। और अगर आप अन्धाधुन्ध शहरीकरण करेंगे तो आप बढते बढते सारी हरियाली को खा लेंगे, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खा लेंगे और कुल मिला कर अनाज पैदा करने के लिये जमीन नहीं रहेगी। आप सिंचाई नहीं बढायेंगे, नयी जमीन नहीं तोड़ी जायगी तो देश के सामने एक खाद्य संकट खड़ा हो जायेगा बीस, तीस साल के बाद।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहर कैसे बसाने चाहिये। यह बहुत अच्छी योजना है लेकिन माननीय मंत्री जी को बहुत सख्ती के साथ देखना होगा कि डी डी ए के क्या नतायज हुए। डी डी ए ने जितना विकास किया है, जितनी बस्तियां बसाई है उनसे दुगुनी बस्तियां उन बस्तियों के पास अनधिकृत बनती रही है जिनको आपको मान्यता देनी पड़ी। कुल 400 या 500 बस्तियां है जिनको आपको राजनीतिक कारणों से मान्यता देनी पड़ी। इस समय भी 90 बस्तियां दिल्ली में है जो अनधिकृत है। दुनिया का सबसे खुबसूरत शहर दिल्ली है, लेकिन डी० डी० ए० के अन्दर आज भी ऐसे इलाके है, जहां आज भी शौचालय नहीं है, जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं है, जहां बिजली का इंतजाम नहीं है। तो आप शहरों के बारे में यह दृष्टि बनाये कि किस तरह का शहर आप विकसित करना चाहते हैं। अभी दिल्ली में लोग पकड़े जा रहे हैं और जो पकड़े जा रहे है ये पेट के लिये गद्दार लोग नहीं थे, ये उच्च और उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे जो देश को बेच रहे थे। पेट के लिये नहीं, सुविधाओं के लिये, अय्यासी के लिये बेच रहे थे। शहरो के विकास के बारें में नीति तय होनी चाहिये और ऐसा तय कीजिये कि कम से कम सौ गज जमीन गरीब आदमी को मिले और अधिक से अधिक 1 हजार गज बडे आदमियों को, एक हजार गज से ज्यादा बड़े से बड़े आदमी को नहीं मिले। किन्तु यह शर्म की बात है कि इसी दिल्ली में जहां इतनी गन्दी बस्तियां हो वहां आज दो करोड़ रुपये का मोदी का मकान बने जो एशिया का सबसे बड़ा मकान समझा जाता है। यह बिलकुल गलत नीति है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला होना चाहिये कि चाहे कंपनियां हो, चाहे रजवाड़े हो, चाहे बडे से बडे लोग हो, हर एक को एक मकान बनाने की गुंजाइश के योग्य जमीन मिलनी चाहिये। इससे अधिक किसी के पास नहीं होनी चाहिये, यह नीति तय हो जानी चाहिये।

[श्री सत्यपाल मलिक]

श्रीमन्, गांवों का आज विघटन हो रहा है, गांव आज बरबाद हो रहे हैं। मेरा गांव भी इसी केपिटल रीजन में पड़ता है। आज अच्छी खेती मेरे गांव में होनी है। कानून आपके हाथ में आ गया। मैं मवैशियों के लिये घर नहीं बना सकता, आपसे यह पास कराना पड़ेगा। दिल्ली के बीच में जो गांव है, आज भी वहां की औरतों के लिये पाखाना जाने का इंतजाम डी॰डी॰ए॰ नहीं करा सकी। वहां कोई सुविधा नहीं, वहां स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है रास्ते नहीं है और आपने जो लाल डोरा लगा दिया है उससे उनके विकास की, उनके मकान बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कम से कम जो ग्रामीण इलाके हैं इनके बढ़ने की, उनकी सुविधाओं की क्या व्यवस्था हो, यह जरूर आपको देखना चाहिये।

श्रीमन्, यह बात कहकर मैं जमीन जो ली जायेगी उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जमीन लेने का जो कानून पास हुआ है वह अच्छा है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका खतरनाक है। कीमतों के बारें में सारे देश में, कस्बों और शहर में जमीनें ली जा रही है और किसानों की जो कीमत तय की जाती है डी॰ डी॰ ए॰ या दूसरे लोगों द्वारा वह आर्बिट्रेरी है। एक जमीन की कीमत दो रुपये तय की और उसके 10 गज दूर जमीन का भाव 6 रुपये लगा दिया गया क्योंकि आर्बिट्रेरी पावर्स है जमीन की कीमतें तय करने के लिये। जमीन जिसका आपने 30 साल पहले नोटिफिकेशन कर दिया था, विकास नहीं कर पाये, लिहाजा किसान न उसमें कोई ट्यूबवैल लगा सकता है, न उसका कुछ कर सकता है। वह वैसी की वैसी पड़ी रहती है, उसके पेड़ भी कट जाते है और वह आहिस्ता आहिस्ता बेकार हो जाती है।

मुआवजे का कानून इतना खतरनाक है, लिहाजा तय करने के बाद भी 20–20 साल तक किसानों को अदालतों में लटकना पड़ता है और उससे कुछ हासिल नहीं होता। मैं किसान हूं, मेरी जमीन आप ले लेंगे नेशनल केपिटल रीजन प्लान में और मुझे 5 लाख रुपया मुआवजा भी आप दे देंगें। शहर का आदमी समझेगा कि 5 लाख रुपया मिल गया लेकिन श्रीमन्, 5 लाख रुपये का क्या इस्तेमाल होना चाहिये, मैं नही जानता। गांव के किसानों को रुपये के इस्तेमाल की बाबत कोई जानकारी नहीं, वह एक ही इस्तेमाल जानता है उसको खर्च करना सही तरीके से या गलत तरीके से। नतीजा यह है कि 10 सैकड़ा घर बचे हैं बाकी 90 सैकडा घर तबाह हो गये हैं, उनके बच्चों को रोजगार मुहैया नहीं हुआ, उनके बच्चों को दुकाने नहीं दी गई, उनको उस रुपये का इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं दी गई। तो श्रीमन् यह नीति बनाये कि जिन लोगों की जमीन ली जाये उनके प्रति सरकार की जवाबदेही है कि उनको उस रुपये के बेहतर इस्तेमाल का भी तरीका बताया जाये। उनको रोजगार के दूसरे साधन मुहैय्या किये जायें ताकि वे उस रुपये को खर्च करने के बाद आवारागर्दी करते हुए बर्बाद न करें। यह मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

अब मैं, जो दिल्ली के आसपास शहर है उनके बारें में सुविधाओं की जानकारी देना चाहता हूं। मेरठ एक शहर है, गाजियाबाद है, रोहतक है, सोनीपत है न यह शहर है और न यह गांव हैं। न उसमें शहर की अच्छाइयां हैं और न उसमें गांव की अच्छाइयां है कमियां जितनी होती हैं वह सब वहां मौजूद है। विकृत तरीके से बसा हुआ यह शहर है। कोई सुविधा है, कोई नियोजन नहीं है। जो स्वरूप बढ़ा है वह तरक्की के लिये नहीं बढ़ा हैं अच्छी खेती भी इसलिये या तो गांव के बेरोजगार लोग आये और या अच्छे किस्म के किसान आये जो गांव की असुरक्षा से भाग रहे थे। पहले तो आपको इन शहरों को ठीक करना होगा जो बिल्कुल विकृत तरीके से बसे हुए हैं। आपको इनकी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि किस तरह से ये बसे हुए पुराने शहर हैं। पुराने टुकडे हैं।

इनमें दंगे होते है । आप यह समझिये कि यहां किस तरह की बसावट है । फी मीटर जो वहां की आबादी की रेशो है और बाहर के हिस्से की रेशों है उसमें बिल्कुल फर्क है । इसी तरह दिल्ली में है । एक गज पर जितनी आबादी चांदनी चौक में है उसके बिलकुल उलट हमारें पंचशील में है । शहर का यह विकृत स्वरूप है जो विकृत स्वरुप है इसको भी आपको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये ।

खेती की जमीनों पर मैं बता चुका हू कि इसको बचाना चाहिये । दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में आती है और जो खतरनाक दिखती है वह यह है कि आप इतना बड़ा काम्पलेक्स डवलोप करेंगे दिल्ली के चारो तरफ तो इसके लिये बुनियादी जरूरत होगी पानी की । इसके लिये बिजली चाहिये । मुझ को यह लगता, है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान और हरियाणा, खेतों के कास्ट पर कोई बिजली और पानी की व्यवस्था शहरो के लिये होगी मैं इससे सहमत नहीं हो सकता । मुझ को यह बात बिलकुल अच्छी नहीं लगती, मैं इस बात को ठीक नहीं समझता हूं । अंग्रेज गंग नहर बना कर गए किसानों के लिय । उसका पीने का पानी मुरादनगर और शाहदरा के लिये ले ले, यह ठीक नहीं है । इसके लिये आपको अपने इंतजामात करने चाहिये । जो आवपासी का पानी है उस पानी को आप पीने के लिये, नहाने के लिये, फुव्वारो के लिये ले ले मैं इससे सहमत नहीं हूं । माननीय मंत्री जी को यह देखना होगा कि खेती की कीमत पर बिजली, खेती की कीमत पर पानी शहरों के लिये न लिया जाए ।

आखिर में जो मुझे सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है उसकी तरफ आपका ध्याना दिलाना चाहता हूं । इस सिलसिले में जो बैठके दिल्ली में एक आध हुई है उन बैठकों में सारे विभागों के लोग शामिल हुए थे । आप परिवहन को भी देखते है । आपसे यह कहना चाहता हूं कि परिवहन को आप कार वालो की द्रष्टि से मत देखे बल्कि साधारण लोगों की दृष्टि से देखे । जो रेलों के ट्रैक है, जिस तरह की रेले मेरठ और दिल्ली के बीच और रोहतक और दिल्ली के बीच चलती है उसम काम नहीं चलने वाला है । इसको पूरा नये सिरे से करना होगा । आम आदमी की जरूरत को ध्यान में रख कर करना होगा ।

जो चीजे छूट गई है उस तरह मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह चीज है कानून और व्यवस्था । अभी तक किसी बैठक में इन सूबों के पुलिस महानिदेशक नहीं बुलाये गये । मैं समझता हूं इनकी बुनियादी जरूरत है । क्योंकि मेरी दृष्टि में दिल्ली आने वाले 20 वर्षो में सबसे खतरनाक शहर होगा हिन्दुस्तान का । सारे देश के एक्स्ट्रीमिस्ट, सारे उत्तर भारत के क्रिमिनल, सारे देश के फाइनेन्शियल बदमाश, जिस तरह से अफसरो को अय्याशी कराई जाती थी उसी तरह से सारे एलीमेंट दिल्ली में आ जायेंगे । दिल्ली एक पत्थरो का जंगल है । जो गुरिल्ला थ्योरी वाले माओ-त्से-तुंग और विएतनाम के लीडर है ऐसे गुरिल्ला लोगों को ऐसी जगह आपरेट करने के लिये चाहिये जहां वह पानी में मछली की तरह आपरेट कर सकें । दिल्ली अरबन गुरिल्लों के लिये भी और शहरी बदमाशों के लिये भी आइडियल सिच्युएशन पैदा करेगी । जब में यह कहता हूं तो सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि पीछे पंजाब के अंदोलन के दौरान जितने सिख नेताओं पर हमले हुए, एक भी आदमी जिसने उन पर बम फेंका, गिरफ्तार नहीं किया जा सका । बैंक डकैती हुई उसका कोई डकैत अचानक पकड़ा गया हो तो पकड़ा गया हो, लेकिन गिरफ्तार कोई नहीं किया गया । आज भी मेरी जानकारी है नीजि तौर पर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश

[श्री सत्यपाल मलिक]

के डकैत वहां डकैती करके चले आये और दिल्ली में पनाह ले रहे हैं। रोहतक और सोनीपत के डकैत वहां डकैती करके दिल्ली में पनाह पाते हैं। दिल्ली जैसी आदर्श स्थिति कहीं नहीं है। ला एंड आर्डर की मशीनरी जो है उससे द्वारा क्राइम करने वालो को पकड़ने के लिये, इन्वेटीगेट करने के लिये कोई अच्छा इंतजाम होना चाहिये। बैटर कोआर्डिनेशन होना चाहिये बिटविन जो राज्य है उनके और दिल्ली के बीच में। वरना यह सबसे खराब इलाका साबित होगा। इन चंद शब्दों के साथ, जो बिल मंत्री जो लाये हैं और जिसकी बहुत देर से जरूरत महसूस हो रही थी, अपने आप में एक बढिया किस्म का बिल है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

SHRI M. P. KAUSHIK (Haryana): Sir. I rise to support this Bill. But I would like to submit a few suggestions. We are just at the corner of the 21st century and the planning has to keep in mind not the requirements of the prevent century or the past century, but the requirements of the 21st century. I come from a peripheral town of Delhi and we are already feeling the pinch of the expansion of, Delhi. I have no hesitation in submitting that the peripheral towns of Delhi are already slums. The National Capital Region Planning Board will have to take this into account that initially the plans are to be formulated to convert the peripheral towns into modern towns with al) civic amenities.

I would also like to submit that where-ever industries have been allowed to start working round about Delhi in this Capital Region, they should be asked to observe all the norms to avoid environmental pollution. This problem of pollution, particularly by industrial wastes, is already creating problems for the country-tide.

If I look at these problems, then I feel that the expansion of Delhi can only be on the radial roads and in the linear direction. Round about Delhi all the lands are practically most fertile. The villages are thickly populated, whenever there is pressure on land or land is acquired for either colonies or for industrial plots, the postition of the villagers is never taken into consideration. I would most humbly submit that if the land is to be developed for either colonisation or for industrial development, the village whose land is to be acquired should first be converted into an ideal village with all the hygienic facilities, with all the civic facilities which are due to them, because if these facilities are not provided to them, whenever they will be surrounded by these colonies or industrial areas, they will have no option but to get themselves converted into slums. At the present moment I know that particularly in the area on the Gur-gaon side, the water shortage is so acute that in summer months the present population of that area is feeling the pinch very much. The power shortage is so much that we are getting power only for six hours in 24 hours. The pressure on Delhi is too much, I agree. Therefore I feel that the planning should be first not in taking away the land and converting it into colonies or industrial plots but in creating the basic amenities required for development—like electric supply, water supply, roads and transport infrastructure. My humble submission is that development is bound to be there. But it should be in a slightly different form. And that form should be that the farthest point in the Capital Region should be developed in the first instance and fcen we should move towards the periphery of Delhi. This suggestion,. I sumbit, may be given due consideration. I am suggesting this simply because if we develop the farthest poinl first, then we will have to necessarily develop transport side of the plan also. That means that if we do not develop transport facilitieThe—either by rail or by road—then we will not be able to develop the farthest point because people would not like to live there. Then there is a suggestion. These multi-storeyed building coming up in Delhi can be easily avoided by allowing five-storeyed or sk storeyed buildings in the peripheral towns which we are going to developing in tin National Capital Region, and all new offices may be located there.

At present, in Delhi the traffic problem is that it is always one-sided traffic—> either there are colonies in a particular sector or there are offices or industries. In this we should have such a planning that we may have a two-way traffic. That means, in the morning theres is only one-way traffic—heavy rush—and in the evening it will be on the other side. In this way if we plan the co'onies, offices and the industrial units, in such a manner that the traffic density may be made on an even basis either in the morning or evening or at noon, then alone I think we can develop on scientific lines.

My further submission is that the most neglected aspect of development which I find in the peripheral towns nowadays is, there is no provision for hospitals, no provision for schools, no provision for phygrounds. I do not understand how we can develop good colonies or good urban settlements without these basic amenities being provided there for the youth which is coming up, which is the future generation of the nation. My submission is that these are basic necessities. When I say school buildings, I mean right from kindergarten not only up to higher secondary but up to degree level because in India, as things today are, the basic qua'ificarion for earning a moderate living is graduation. I hope the hon. Minister will keep in mind these few submissions when these plans are formulated.

One more submission. The power to implement the plan is vested in the States. How far the Central Planning Board v. ill make its authority effective in not allowing the States to digress has to be seen because, as has been referred to earlier, whenever the question of urbanisation comes up, land prices go up. Here I have got a suggestion. Ours is a socialist pattern of State. I think there must be some limit on possession of plots in the urban area by a particular family or a particular person. These developed colonies should not be allowed mainly for the function of speculation and raising of prices. To my knowledge, in Delhi people have; got more than three or four piots each in different colonies and then they sell them for profit. This type of profiteering adds on to inflation and it ultimately adds on to the national burden.

I am sure these points will be kept in mind and tbe farmers will be given their due compensation at the time of acquiring their lands. I repeat what I said earlier: Before you acquire the land of the farmer. the basic amenities in the villages should be provided and the villages should be made self-sufficient for human living. We should not consider the villagers to be sub-human beings and take away their lands. If we keep these things in view and make these peripheral villages self-sufficient in basic amenities, I am sure the pressure on Delhi will decrease— not only on Delhi but on the towns round about Delhi.

With these few suggestions I support the Bill and request the honourable Minister to give due consideration to these ideas.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill.

Mr. Satya Pal Malik said that the Bill had come late. But I say, "Better late then never." I congratulate the Minister for bringing forward this legislation.

When I support the Bill, I have a few observations to make, and I will confine myself to the articles of the Bill itself.

In the first instance, it provides for the constitution of the Board. The term of the Board has not been given in this. I think the general tendency at the moment is that if a board is constituted, unless the time of the board, limit to which the board can run, is not provided in the act itself, this tends to go on and on for year* to come. I think the Minister should consider that in the Bill itself the term of the office of the Members of the Board

[Shri Ghulam Rasool Matto] should be prescribed, whether two years or three years, whatever it is. And also it should be very specifically mentioned that not more than two terms should be allowed to each Member of the Board.

The second point that I have to bring to the kind attention of the Minister is that the Board is supposed to consist of, apart from the Union Minister of Works and the Chief Minister, eight Members to be nominated by the Central Government on the recommendation of the participating States and the Administrator of the Union Territory. Sir, I have seen it myself, and I am a witness to this. What happens when you write to the concerned States is that if that particular State is of a particular party the persons nominated by them belong to that party only. I would request the hon. Minister to have powers with the Central Government ao that the opposition parties in those particular States should also have nominations and have some part to play in this.

It should not be that one-party rule should be conducted in these Boards.

The third point that I have *to* make is that the Member-Secretary of the Board is a very important post, and this has been assigned to a Joint Secretary, in my opinion, this is too low a level for the Member-Secretary. But there is one ray of hope in it because it is given, "from, amongst officers of, or above, the rank of Joint Secretary." I would request the hon. Minister to make it that not less than an Additional Secretary or a Secretary should be tbe Member-Secretary of the Board because this is a very important Board and a very high-ranking Board. As the Union Minister of Works himself is the Chairman of this Board, the Member-Secretary should not be of a level of less than Additional Secretary or Secretary.

The fourth point that I have to make, Sir, is about the regional plans that are to be made. My friend from this side said about green belts. Delhi was famous. New Delhi was made by those people, tha Britishers, because there were a lot of green belts in it. He must ensure that in every functional plan or sub-regional plan green belts are provided. That is tbe name condition that in every plan, regional plan, that is put forth, green belts must be provided for.

Sir, the next point that I have to make is with regard to the reports. Tbe Boards are supposed to prepare in each financial year their annual reports in such form and at such time as will be prescribed, giving full account of the activities during the financial year immediately preceding the financial year in which such report is prepared. This is one condition. The second condition is with regard to the audit of accounts. The Central Government shall lay annual report and audited accounts. The Central Government shall lay annual report and audited accounts after their receipt, on the Table of both the Houses of Parliament while it is in session for a total period of 30 days. Now, according to the chronology under section 24, 25 and 26, in my opinion, it may take years for each report to be placed before two Houses of Parliament. For instance, there is no time limit as contained in the Companies Act that within three months of the ending of the financial year the company is required to submit its report. Within that limit the company accounts are to be audited. My submission is that the reports must be placed before both the Houses of Parliament before the expiry of the financial year. Tha» means if for the year 1983-84 the report is prepared and audit is made, it must be placed before the end of 1984-85. One full year is given for the preparation of the report; and auditing of accounts to *be* placed before Parliament. But according to these sections 24, 25 and 26 it may take three to five years. If these are placed before Parliament after five years it serves no purposes. Therefore, I suggest that the time-limit should be prescribed. If it is not done in accordance with the rules I suggest to the Minister to do so

Clause 33 provides that, T quote:

"Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorised by the Board in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do

such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the exercise of any power or performance of any function by the Board under this Act."

"Provided that no such person shall enter any building or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling-house without previously giving the occupier thereof at least three days* notice in writing of his intention to do so"

I think three days' notice is too short period for out lying areas in a village. for instance, this Capital Region ig sup-osed fo encompass areas 30 miles from telhi. If the surveyor wants to enter a lerson's premises outside Delhi at least :n days notice minimum should be given istead of these three days.

The question of payment of compensa-*ja* has been left to the Land Acquisitionct of the concerned States. Now, this lestion was raised the other day in this ouse. I think that was the first ques- m replied by tbe Hon'ble Minister. The sparity between payment for the land quired and then developed is unjustifi- 1* I suggest that the Board must pres- ibe reasonable payment for the land mired. The guidelines must be fixed the Planning Board so that the inte- t of the farmers and land-owners from oni the land will be acquired are safe- irdcd and fully compensated.

["he last point that I would like to ke is about constituting a Planning mittee by the Board. The Board is s'ituted in Delhi. The Chairman is De'hi. I request the Hon'ble Minister t the job of the Board should not be rusted to this Committee as often as sible because when the Minister is in capital it will be easier to convene a ting of the Board itself rather than a imittee. And the chairman of this mittee under no circumstances should a Joint Secretary, as has been propo- He should not be less than a Secre-tary because the Housing Minister is th* chairman of this Board, and the committee should not be chaired by a person less than the rank of Secretary. With these observations, I commend the Bill for the consideration of the House.

SHRl PAWAN KUMAR BANSAL (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. For centuries Delhi, the veritable heart of India, continued to be the Capital of the country before the British shifted it to Calcutta. And it regained its prestige and glory when once again the seat of Government was shifted to Delhi in the early part of this century. However, since then and particularly after independence, when it acqui-red a cosmopolitan character, the pressure on the limited land area of Delhi has been very strong, with the result that in spite of the various development oriented provisious in the Delhi Development Act of 1957, what we saw was a haphazard growth in areas surrounding Delhi, with the result that Delhi in fact became a lotus in a marshy swamp. Sir, in order to check such a situation, it was a welcome step that the Goverment conceived of a statutory board at the Central level' for the planning, monitoring and development of the National Capital Region. Tbe National Capital Region Planning Board Bill, 1985, which seeks to provide for the constitution of such a board to plan the development, control land use, which can regulate the growth and development of infrastructure in the National Capital Region must, therefore, in my opinion, secure the outright approval of all sections: of this House as well as the public, the town planners, the ecologists and environmentalists.

In a very succinct manner, the Bill provides for the preparation of a regional plan or a sub-regional plan, laying down the policy in relation to land use and proposals regarding major urban or rural settlement patterns, regarding transport 3nd communications, drinking water and draniage and indicating priority area* which call for immediate development.

[Shri Pawan Kumar Bansal]

Sir, the importance of the democratic process has been maintained by making provision for inviting objections and suggestions from any person and the concerned local authortiy with respect to the draft regional plan and for its alteration, modification or substitution on review every five years.

lie Schedule io the Bill specifies a drly large area of Haryana, U.P., Rajas-.han and the whole of the Union Territory of Delhi which, according to clause (£) would constitute the National Capital Region. We can hopefully look forward to an ideally planned development of this region as also any counter-magnet urban area thai may be selected outside the NCR under clause 8(f) of the Bill. The Bill has provided for an effective statutory machinery to bring about an integrated and systematically planned development of the areas comprising the National Capital Region. However, I feel, Sir, from a reading of the various provisions, that the enforceability of the provisions of the Act has not been really ensured by making provision for the levy of a penalty upon an individual who chooses to violate any provision of the Act. Regarding participating States also, as one learned Member speaking before me said, the provisions were again not very stringent and all the penalty that could be levied against a defaulting State was withholding of the various loans, etc. which the Board would otherwise advance. In my humble opinion this would not suffice *io* ensure that the salutary provisions of the Act are implemented by all concerned because we also find a provision in the Bill that it is the particiapting Slates which would also contribute in a significant way to the funds of the Board and, as such, I feel, it would be meaningless to withdraw or hold back the allocation of funds to a contributing State itself. So, I urge upon the honourable Minister to make a provision at least in the rules, wherever it is possible, within the limited scope of the rules, to see that once the States participate in this plan there is no backing out of it.

For a balanced development of the National Capital Region and to ensure that developmental activities go according to plan I also feet that the Board should be invested with the power to sanction and allocate power connections to varoius units of different classes coming up in the plan. It would, in my humble opinion, be futile to work on a plan for a region as vast as the one postulated by this Bill and to vest no power in the Board to see that the various units coming up in this region are made viable units. Otherwise, what we would see would be that various industrial or other units coming up in the region, when they feel shortage of power.-mayble, as we have in small towns-resort to diesel engines, steam engines using coal or rice husk or various other means with the result that what the present Bill seeks to achieve may be nullified in the form of having pollution OJ various other problems which the indus-trialists face due to shortage of power With these words I support the Bill. Bu before concluding I would only briefl; refer to the motion regarding amendment moved by Mr. Chaturanan Mishra—tha is, at page 3— where regarding member ship of the Board there is a proposal b him that there should be at least on member on the Board representing a Stal which has over five lakhs of its citizei residing in the National Capital Region My submission is that such provision, hi already been made in the Bill when postulates that at least two members fro every participating State would be met bers of the Board. There is another ve welcome suggestion and that is relating the provision of living space for riksh: pullers, tongawallahs, etc. There c basically be no doubt and no quarrel w a proposition as this. I find from a rei ing of the various provisions of the ./ the priorities and we could only urge up the honourable Minister to see that in rules a provision is made in accords with such principles.

Sir, only one submission I will m before I conclude.

If any financial dealing to a great extent is involved, it is always expected that one of the members would be a person who is professionally competent to deal with financial matters. Therefore, it would be in the fitness of things if the Government, in this case, nominate a person, who is professionally qualified for the job, to be a member of the Board. With, these words, I support the Bill.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (हरियाणा): वाइस चेयरमेन सर, यह जो बिल पेश किया गया है नेशनल केपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बनाने के लिये, इस बिल की मैं ताइद करता हूं क्योंकि इसके पीछे जो ग्रोब्जेक्ट्स ग्रौर रीजन दिये है, यह कुछ नेक दिखाई देते है, इरादे भी कुछ नेक है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं कुछ ग्रपने सुझाव देना चाहता हूं। यह जो ग्राप नेशनल कैपिटल प्लानिग बोर्ड बनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा मालूम देता है कि कहीं यह दिल्ली का दूसरा डी0 डी0 ए0 न बन जाए। तो मैं ग्रानरेबिल मिनिस्टर से यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इसको बड़े ध्यान के साथ, जो रूल्स वगैरह इसके लिए बनाए जाएं, उनको देख कर बनाया जायं। वरना मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि जैसे दिल्ली के ग्राप गांव में जाकर देखें कि डी0 डी0 ए0 ने ले रखा है। सारी दिल्ली का ज्यादातर रकबा जो है, यह डी0 डी0 ए0 में है। यानी वह क्या करते हैं कि जमीन एक्वायर कर लेते हैं ग्रौर 12–12 साल तक वह जमीन पड़ी रहती है, उसके चारों तरफ तार लगा देते है। न वह जमीन गवर्नमेंट के काम ग्राती है ग्रौर न किसानों के, पीछे तो यह हुग्रा था कि जमींदारों को जमीन से महरूम कर दिया गया ताकि वह कास्त भी न कर सके। यानी मुग्रावजा भी 12–12 साल तक नहीं मिला। मैं यह समझता हूं कि दिल्ली की प्लानिंग करने के लिये तो ठीक है, लेकिन गांव की क्या प्लानिंग है। क्या गांव की यही प्लानिंग है कि मंगोलपुर के साथ एक बस्ती बना दी जाये, मजदूरां के लिये छोटी-छोटी झोपड़ियां बनाकर उसे मंगोलपुर के साथ मिलाकर मंगोलपुरी उसका नाम बना दिया जाये। ऐसे ही सुलतानपुर के साथ एक बस्ती बनाकर सुल्तानपुरी नाम रख दे। गांव उसी तरह हैं, गांव में कोई डवलपमेंट नहीं है। ग्राप दिल्ली की सड़कों की तरफ देखे ग्रौर उधर जाकर देहाती सड़कों को देखें। मुझे तो ऐसा मालूम देता है कि इस एक्ट के ग्रन्दर

the whole of the Sonepat District to which belong — has been included.

I

ग्रौर जिसमें नलवा साहब रहते है यानी दो होल ग्राफ दी पानीपत तहसील तो यह जो गांव है इतने लंबे चौड़े कितने, 10 हजार यानी कितने किलोमीटर का एरिया लिया गया है। इसके पीछे मेरी समझ मे बात नहीं ग्राई। गांव को तो मुस्तसना कर देना चाहिये था। गांव की डवलपमेंट कहां होगी। यह तो मुझे ऐसा मालुम देता है कि कभी यानी— It may prone to be wolf in the garb of sheep मैं तो खुद इसका शिकार हूं लैंड एक्वीजीशन का। जी० टी० रोड के साथ लगी 40 एकड़ हमारी जमीन ली गई। ग्रौर कम्पेनसेशन क्या दिया गया? दो रुपये, चार रुपये गज। ग्राज उस जमीन को हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड 110 रुपये गज के हिसाब से बेच रहा है। उस जमीन में पांच छ: हिस्सेदार थे, 5–6 एकड़ जमीन एक के हिस्से में ग्राती थी।

कल मैं चौधरी सुलतान सिंह से बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहां बहुत डेवलपमेंट हो जायेगा, बिजली की रेल चलेगी। पता नहीं क्या-क्या कैसी सड़के बनेगी, ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम होगा। बिजली की रेल कैसे चलेगी जब हरियाणा के ग्रन्दर ट्यूब-वैल नहीं चल सकते।

ाणा के अन्दर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमारी बिजली पता नहीं कहां जा रही है। नलवा जी एक डेपूटेशन लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गये थे कि जिन-जिन स्टेट्स के अन्दर हमारा शेयर है वही बिजली दिलवा दी जाय। हमारी बिजली भी बाहर भेजी जा रही है। प्लानिंग बोर्ड यह करेगा कि दिल्ली को पानी मुहैया करने के लिये डीप ट्यूब-वेल लगायेगा। हरियाणा के अन्दर में माइनर इरीगेशन कारपोरेशन का चेयरमैन था। जहां हम डीप ट्यूब-वैल लगाते थे उसके आसपास के इलाके के किसान रोते थे, हमारे पास डेपूटेशन आते थे कि हमारे ट्यूब-वैल में पानी नहीं रहा। जब दिल्ली के अन्दर किल्लत होगी तो बोर्ड स्कीम बना कर भेज देगा कि डीप ट्यूब-वैल लगाओ और दिल्ली को पानी मुहैया करो। हरियाणा को पानी नहीं मिलता, हरियाणा को बिजली नहीं मिलती। हरियाणा में क्या डेवलपमेंट करने जा रहे हैं इस प्लानिंग बोर्ड के जरिये। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर मेहरबानी करिये, मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है :

रहमते हैं तेरी अगयार के काशानों पर।
वर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर।।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें एक लफ्ज की तबदीली कर दें। यानी 'मुसलमानों' की बजाय 'किसानों पर' सब्सीट्यूट कर दें। हमें मेसिव मैंडेट मिला है, हमारी इतनी मेजारिटी है, प्राइम मिनिस्टर के इरादे नेक है, लेकिन किसानों के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ सेफगार्ड जरूर कर देने चाहिये। (व्यवधान) अन्धे को हाथी दिखाया जा रहा है, हाथी को हाथ लगाये बैठे हो। मैं मिनिस्टर महोदय से बड़ा नम्र निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि किसानों के लिये जरूर कुछ सेफगार्ड्स दे दें, वरना बिल की हिमायत तो करनी है और करेंगे।

ला एंड आर्डर की क्या पोजिशन होगी। अभी सत्यपाल मलिक कह रहे थे दिल्ली के अंदर ला एंड आर्डर के बारें में। (समय की घंटी) मैं, वाइस चेयरमैन साहब, मेरे यहां चोरी हुई दिल्ली के अन्दर 13 अशोक रोड पर। चार हथियार गये, 60, 65 हजार रुपये का सारा सामान हमारा चला गया। पुलिस वाले उस के लिए एक महीने तक आते रहे। हमें खुद परेशानी थी कि कहीं वे हथियार एंटी सोशल एलीमेंट्स के हाथ में न चले जायें। एक महीने तक चार थानेदार रोज आते रहे और सत्यपाल मलिक जी के सामने डी एस पी ने कहा कि हमारा माल मिल जायेगा आप इन को आइडेंटिफाई कर दीजिए। चारों हथियार उन्होंने रखवा दिये। वह तो बरामद हो गये लेकिन उस के बाद पुलिस वालों ने अपनी शक्ल नहीं दिखायी। इतना बड़ा एरिया आप ले रहे हैं इस में क्या आप ला एंड आर्डर मेंटेन करेंगे। यह तो ला एंड आर्डर को बिगाड़ने की बात होगी। तो मैं मंत्री जी से यही बात कहना चाहता था। इस के बाद मैं इस का समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैय्यद रहमान अली) : मैंने कुछ सदस्यों के नाम लिये थे जो उस वक्त यहां पर मौजूद नहीं थे। शायद वे किसी कमेटी में मसरूफ थे। मैं उन का नाम फिर ले रहा हूं। अगर वे इस वक्त भी नहीं होंगे तो मैं फिर उन को मौका नहीं दूंगा। श्री पी० राधाकृष्ण।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNAN (Andhra Pradesh) : Mr. Vice Chairman, Sir, this Act is not bad. It i an improvement on the Delhi Develor ment Act. I do not know why a typical title is fixed for this As sub-section (1 of section 1 goes, its title is Nations Capital Region Planning Board. Instea of this we can have Delhi Regional Plan ning Board. It is one and the same. The typical name shows as if the capital is no permanent; it is to be shifted somewhere else as every camp is shifted. Delhi permanent and it is the capital. So w

can call it the Delhi Regional Planning Board. If the Minister does not think it prestigious, he may think of changing the title.

Tbe second thing is that improvement is there; there is no doubt about it. Instead of having an administrative head for the Delhi Development Authority in this improved Board tbe Minister for Housing ii made the Chairman and the Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and the Administrator of Delhi Union Territory are made members. It is given more a political colour than ad-ittinistrative one. That is why I am a little bit afraid whether the Government is going to take any political advantage out of it.

Secondly, there are many problems facing the urbanization nowadays, more particularly the pricing of urban land. The (raral people are very much attracted by the urban areas. But the town people or urban people are also facing much difficulty for lack of amenities. As I have already said, the price of land is going up like anything and there must be a regulation and control in the prices; either it may be nationalisation of land or it may be • ceiling on the price of land or whatever it may be. There must be regulari-sation of pricing of urban lands.

Sir, next, the housing problem is also a big one, and everywhere to arrest the housing problem multi-storeyed buildings may be encouraged to solve this problem. There is a curb on the construction of multi-storeyed buildings in several cities. Instead of curbing it we must encourage multi-storeyed buildings. By encouraging multi-s*oreyed buildings amenities will be easily provided to the inhabitants, and we can remove and reduce consump'ion of land. Every speaker on this Bill is worried about the consumption of land. This will be the solution for tackling that pro-blem. Sir, anyhow the Act is good and the plan is good. But it should not 5 P.M. help the expansion of city. Instead of that, the Minister and the Government and the Board have to take steps to develop the rural areas falling under this area and they should not expand the city limits. Sir. I support the BilL

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, उस संबंध में अपने कुछ विचार और अपनी कुछ शंकायें मैं पेश करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, सन् 1957 ई० में दिल्ली विकास अधिनियम बना था । सन् 1962 ई0 में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान बना और जोनल डेवलपमेंट अथारिटी भी गठित हुई थी । सन् 1957 से आज तक 27–28 वर्ष हो चुके है दिल्ली का जिस प्रकार से विकास चल रहा है, उसमें दिल्ली के अन्दर अभी भी बहुत बड़ी तादाद में झुग्गी-झोंपड़ी एवं गंदी बस्तियां विकसित हो रही हैं । इस मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट अथारिटी और दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी के होते हुए भी स्लम्स हैं जिनका विकास नहीं हुआ है और जो सड़कें हैं उन पर भी इनक्रोचमेंट होता है और जितनी सुविधाओं का वायदा किया गया था आज उनको उस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं ।

मान्यवर, जहां तक दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथारिटी या दूसरे शहरों में बनी हुई अथारिटीज का सवाल है, उनमें किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है । मामूली से दामों पर उनकी जमीनें ली जाती हैं, उसका विकास होता है शहरों के लिए, विकास होता है, इंडस्ट्रीज का, विकास होता है सड़कों और दूसरी बातों का, लेकिन किसान लूटा जाता है उसकी जीविका का जो साधन है वह समाप्त हो जाता है । श्रीमन्, 2 रुपये मीटर उसकी जमीन का मुआवजा दिया दिया जाता है और 1 हजार या 2 हजार रुपये मीटर तक उस जमीन को नये अलाटीज को दिया जाता है और अगर किसी अलाटी ने बाद में उसे बेचना चाहा तो वह डेवलपमेंट अथारिटी उ

श्री वीरेन्द्र वर्मा]

लाटी से उसके बीच का मुनाफा ाती है और अगर अथारिटी उस मुनाफे को अपने आप खाती है और जिस किसान से जमीन ली जाती है उसको मुनाफा नहीं दिया जाता है। इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता है ? जिन किसानों की जमीनें ली जाती हैं उनको प्लाट या दुकान की जगह नहीं दी जाती है । यह तो बात है डेवलपमेंट की ।

अब जहां तक मान्यवर, यह प्रश्न है राष्ट्रीय राजधानी योजना का, इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा के चार जिले हैं, करनाल जिले की पानीपत तहसील, महेन्द्रगढ़ की तहसील है रिवाड़ी और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के तीन जिले जिनमें गाजियाबाद, मेरठ और बुलन्दशहर हैं, राजस्थान के अलवर वगैरह इतने जिलों में दिल्ली के भावी विकास की योजना बनाई गई । गांधी जी तो कहा ही करते थे कि गांवों का विकास करो शहरों की तरफ लोग ना भागें, लेकिन गांवों के विकास की तरफ इस सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है । कोई योजना गांव के विकास की अगर सरकार बता सकें तो मैं कृतज्ञता प्रकट करूंगा । लेकिन गांव का कोई विकास नहीं, शहर ही शहर का विकास होता है । जब जमीन ली जाती है शहरों के विकास के लिये, तो न तो उनको मुआवजा मिलता है और अगर कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता भी है तो वह टाइम पर नहीं मिलता है। अभी जो लैंड एक्वीजिशन बिल, मोहसिना किदवई जी जब रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर थी, पेश किया था तो मैंने बताया था कि सन् 1959-60 ईस्वी के केसज दिल्ली के हाई कोर्ट में पैडिंग पड़े हुए हैं। जब उनको मुआवजा मिलेगा तो वह 1959-60 में जमीन के जो दाम थे उस हिसाब से मिलेगा । अभी तो कैसेज चल रहे हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उजड़ते हुए किसानों को न्यायसंगत मुआवजा दिलाने की कृपा करें । उनके हितों की भी रक्षा करें । मान्यवर, आपने कहा है कि गांव का अव्यवस्थित विकास न हो । आप जरा अपनी इस योजना में यह बताइये कि जितने जिलों को आप लेंगे उसमें कौन सी व्यवस्थित विकास की योजना आपके पास है । किसान आपकी आज्ञा के बगैर अपना मकान नहीं बना सकता, गांव की किसी प्रकार की बस्ती का डवलपमेंट नहीं हो सकता आपकी आज्ञा के बिना, जो इस रीजन में आ जायेगा । आज्ञा वह किस से प्राप्त करेगा ? आज भी अगर वह आज्ञा लेगा तो वह रिश्वत देकर आज्ञा लेगा । उनको कठिनाई होगी, उनको परेशानी होगी । आज्ञा प्राप्त करने में उसको कठिनाई होगी । उसे आज्ञा प्राप्त नहीं होगी ।

मान्यवर, इस मास्टर प्लान में, राष्ट्रीय राजधानी योजना में मेरा एक यह भी सुझाव है कि जितने भी एरियाज तक आप लेना चाहते हैं उन गांव के एरियाज में उनके ड्रेनेज, उनकी सड़कें, उनकी बिजली, अस्पताल चाहे वे जानवर के हों, औरतों के हों, मर्दो के हों, जच्चा-बच्चा केन्द्र के हों, युनिविर्सिटी व कालेजेज, लड़के और लड़कियों के लिये व्यवस्थित विकास करना चाहिये । अगर इन पर प्रतिबन्ध लगाना है तो किसान अपना कोई काम नहीं कर सकता, न जमीन को बेच सकता है, न वहां पर कोई निर्माण का कार्य करा सकता है । न वह कोई ट्यूबवैल बना सकता है । यह आप प्रतिबन्ध लगा देंगे, आपको अधिकार है इस योजना के लाग होते ही । लेकिन इस योजना के आने के बाद गांव का कौन सा कार्य आप के हित में होगा, गांव वालों के हित में होगा, कितने साफ गांव होने लगेंगे, इसको आपको देखना होगा । यह योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बिल्कुल विपरीत है कि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए । उनका यह कहना था कि गांव का विकास हो और यहां गांव वालों के विकास को अवरूद्ध किया जा रहा है, पाबन्दी लगाई जा रही है । मैं महसूस करता हूं कि एक प्रेक्टीकल मैंने के रूप में कि उनकी दिक्कते बढ़ेंगी । निश्चित दिक्कतें बढ़ेंगी । समय आयेगा जब किसान

मारा-मारा फिरेगा, वह कहेगा मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे कर्जा देना है तब वह न जमीन बेच सकेगा और न मकान बना सकेगा, न दुकान बना सकेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि सारी दिक्कतों पर विचार करके जन-हित में गांव वालों के हित में, किसानों के हित में निर्धन के हित में योजनाओं को चलाने की कृपा करेंगे ।

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मंत्री जी लाये हैं नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड बनाने का, मैं इसका समर्थन करता हूं । जैसा मेरे लायक दोस्त सत्यपाल मलिक जी ने और अभी वर्मा जी ने फर्माया इसमें कोई शक नहीं, पिछला मेरा यह तुजुर्बा है कि डी० डी० ए० ने किसानों को जिस तरह से बर्बाद किया, अगर मंत्री जी मौका दें तो उनको दो-चार जगह हम दिखा सकते है। गांव के चारों तरफ शानदार कोठियां, फ्लेट्स हैं और उसी गांव में औरतों के लिये पखाना जाने के लिये जगह नहीं है । गांवों में पीने का पानी नहीं है । गांवों में कोई स्कूल नहीं है, कोई युनिवर्सिटी नहीं है । यहीं नहीं, दिल्ली को साफ और खूबसूरत बनाने के लिये यहां के पशुओं और कूड़े को गांवों के पास फैंक दिया जाता है । गांवों में गोबर गैस प्लान्ट बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। गांवों में किस तरह से गोबर फैंक दिया जाता है, किस तरह से पशु रखे जाते हैं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मरे हुए पशुओं को कोई उठा सके, उनकी खाल और चमड़ी उतार कर उसका उपयोग हो सके, इसकी कोई व्यवस्था गांवों में नहीं होती है । अगर कभी मंत्री जी देखना चाहें जो नजफगढ के ककरौली गांव में जाकर देख सकते ह । यहीं नहीं, दिल्ली के बीच में ही मुनीरका गांव है, उसको आप देख सकते है । उससे आपको पता चल जायेगा कि गांवों की स्थिति क्या है ।

जहां तक डी० डी० ए० का सवाल है, डी० डी० ए० दिल्ली के गांव वालों पर बहुत ज्यादतियां कर चुका है । किसानों की फ्री-होल्ड जमीन को सरकार छीन लेती है । इसको मैं एक्वायर करना नहीं मानता हूं । मैं इसको छीनना मानता हूं क्योंकि सरकार के पास शक्ति है । वह दफा 4 और 6 में नोटिस निकाल देती है । किसान बेचारा अदालत में भी नहीं जा सकता है । इसलिये मैं इसको जमीन का छीनना कहता हूं । वह पुलिस का भी मुकाबला नहीं कर सकता है । डी० डी० ए० किसानों से दो-दो या तीन-तीन रुपये गज जमीन लेकर दो सौ और तीन सौ रूपये गज बेच देता है । फ्री होल्ड जमीन डी० डी० ए० लेता है और आलटरनेटिव प्लाट दो सौ गज का लीज होल्ड पर देता है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप डी० डी० ए० को चैक करें । आप जमीन एक्वायर फ्री होल्ड करते हैं और आलटरनेटिव प्लाट लीज होल्ड देते हैं । आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर भी एक इण्डस्ट्री है । वह भी एक पेशा है, प्रोफेशन है, रोटी खाने का धन्धा है । आप किसान को इंडस्ट्रियल प्लाट नहीं देते है ! अगर आप उसको भी इंडस्ट्रियल प्लांट दें तो वह भी वहां पर कोई छोटी-मोटी इंण्डस्ट्री लगा सकता है । आप उसको कोई दुकान भी नहीं देते है ताकि वह दुकानदारी कर सके । केवल उसको एक दो सौ या ढाई सौ गज का रेजिडेंशियल प्लॉट देते है और वह भी लीज होल्ड होता है । वह उसको न तो ट्रांसफर कर सकता है और न ही बेच सकता है। अगर वह बेचना भी चाहे तो उसका मुनाफा डी० डी० ए० को देना पड़ता है । डी० डी० ए० मुनाफे में अपने शेयर लेता है । यह किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसकी तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

एक खादशा यह भी है कि आपने यह प्लानिंग बोर्ड तो बना दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेन्टेशन कैसे होगा, इसको भी चैक करने की जरूरत है । बोर्ड कैसे काम करेगा, यह चिन्ता का विषय है

[श्री सुल्तान सिंह]

आप जानते है कि एयर और वाटर पोल्युशन बोर्ड बने हुए हैं। यहां दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर देख सकते है। वहां पर थर्मल पावर प्लान्ट की राख जमा हो जाती है यहीं नहीं, इस थर्मल पावर प्लान्ट के आस-पास जो मकान है जो घर हैं, उनकी छतों पर आप देखिए कि कितनी राख जमा हो जाती है। आपका एयर पोल्युशन बोर्ड कोई काम नहीं करता है इसी तरह से वाटर पोल्यूशन की भी बात है। जगह-जगह पर फैक्ट्रियां बनी हुई है। ये फैक्ट्रियां गंदा पानी नदियों में डालती हैं। इस तरह से एग्रीकल्चरल लैण्ड को खराब करती है और पीने के पानी को भी खराब कर रही हैं। वाटर पोल्यूशन बोर्ड वाले फैक्ट्रियों से पैसा ले लेते हैं और कुछ काम नहीं होता है। इस तरह से धोखा, बदमाशी और बेईमानी इनके अन्दर चल रही है। एयर पोल्यूशन की हालत यह है कि बम्बई और कलकत्ता की जहां तक बात है, बम्बई के साथ तो समुद्र लगा हुआ है। वहां पर एयर पोल्यूशन का खतरा इसलिये उतना नहीं है जितना दिल्ली में है। दिल्ली की आबादी 15 साल के बाद एक करोड़ हो जायेगी ....(व्यवधान) । इनके हिसाब से दो करोड़ हो जायेगा। अगर दो करोड़ की आबादी दिल्ली की हो जाये आज आप पुरानी दिल्ली में देखिए आपको वहां एक भी वृक्ष नजर नहीं आयेगा। कितना बड़ा कुदेशिया पार्क था। आज उसको सारा तोड़कर वहां बस टर्मिनल बना दिया गया है। पार्कों को तोड़ तोड़ कर जगह बनाई जा रही है। कितना बड़ा जंगल होता था बिरला मंदिर के पीछे, आज सारा वह टूट रहा है। आपके सारे जंगल खत्म हो रहे हैं, सारे वृक्ष खत्म हो रहे हैं। इस तरह से आप एयर पोल्यूशन का इंतजाम नहीं कर सकेंगे और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही होता रहा और इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली घुटकर मर जायेगी दूषित हवा से यहां की हवा इतनी दूषित हो जायेगी कि हालत को संभालना आपके लिये मुश्किल हो जायेगा इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप प्राथमिकता इस बात को दें कि कम से कम सौ मील के रेडियस में जितने हमारे शहर है जितने हमारे देहात हैं उनमें बिजली की ट्रेनें हों, डबल ट्रेन हो ताकि दिल्ली की 20-25 लाख पापुलेशन शाम को बाहर निकल सके। अगर ऐसा करने में आप लापरवाही करेंगे तो दिल्ली के अंदर लोग घुटकर मर जायेंगे? आप पांच स्टोरी बिल्डिंग, दस स्टोरी बिल्डिंग बना लें लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि दिल्ली और जो इसकी सेटेलाइट सिटीज है उनके बीच में आपकी ग्रीन बैल्ट रहे, खेती की जमीन रहे और वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया रहे और जो आसपास के शहर हैं कुछ दफ्तरों को आप उनके अंदर फेंके। जिस तरह से अभी हमारे लायक दोस्त श्री कौशिक साहब फरमा रहे थे कि सबेरे-सबेरे सब का मुह एक तरफ होता है। आप बिजली बोर्ड के दफ्तर को नागपुर भेजे, वह हिन्दुस्तान के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट को हिन्दुस्तान के बीच में आप क्यों नहीं भेजते? क्या साउथ इंडिया का कोई आदमी यहां सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। उनके यह कोई काम नहीं आता। यहां के वकील उनकी भाषा नहीं समझते उसको आप बीच में भेज दीजिये और दिल्ली पर से बोझ घटाइये यह बहुत जरूरी है कि कुछ दफ्तर यहां से बाहर निकाले।

श्री अब्दुल गफूर : पार्लियामेंट ?

श्री सुल्तान सिंह : पार्लियामेंट के लिये भी मैं कहता हूं कि कम से कम इसका एक सेशन दक्षिण भारत में होना चाहिये। राष्ट्रपति को कम से कम 6 महीने दक्षिण भारत में रहना चाहिये। मैं इस राय का हूं। अंग्रेज कोई पागल नहीं थे जो वे 6 महीने शिमला को राजधानी रखते थे। वे यहां दो सौ साल रहे। कोई उनका दिमाग खराब नहीं था। वे सोचते थे कि किस तरीके से सारे देश को इन्टीग्रेटेड रखना है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके जितने देहात और शहर इसके बीच में

आते है सब के लिये पहली प्राथमिकता आप बिजली की ट्रेनों को दें। दूसरा जो आपका वाटर पोल्यूशन बोर्ड है, जो आपका एयर पोल्यूशन बोर्ड है, उसको जरा टाइट करिये और जो आपके थर्मल पावर प्लान्ट लगते है कोई दूसरे प्लान्ट लगते हैं तो आप यह देखें कि वे आपकी हवा को कितना दूषित करेंगे। आज दिल्ली की हालत क्या है। वाइस चेयरमैन साहब, इसके दक्षिण में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन हैं, पूर्व में गाजियाबाद इंडस्ट्रियल टाउन है, उत्तर में सोनीपत इंडस्ट्रियल टाउन हैं, वेस्ट में बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल टाउन हैं। किसी भी तरफ से हवा चले सारा एयर पोल्यूशन दिल्ली में होता है। मैं समझ नहीं पाया कि इसकी प्लानिंग करने वाला कौन था।

श्री अब्दुल गफूर : यह पहले हो गया है।

श्री सुल्तान सिंह : आप इसको ठीक कर लें। कौन प्लानिंग करने वाला था जो दिल्ली के चारो तरफ इंडस्ट्रीज लगा दीं। अभी मंत्री जी मैं आपसे यह कहता हूं कि जितने भी हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी यह कोशिश है कि हमारे मकान दिल्ली में हों, हमारा हैड आफिस दिल्ली में हो, हमारी इंडस्ट्री गाजियाबाद, फरीदाबाद या सोनीपत में हो ताकि वहां आधे घंटे में चले जाये और वे दफ्तरों में बैठकर कांसपरेसी करे, परमिट आसानी से ले, उसका काम ठीक से चले, एक्सपोर्ट जल्दी से कर सके, उसको कोई दिक्कत न आये और एक लाइजन आफिसर हर इंडस्ट्रियलिस्ट ने बिठा रखा है आपके दफ्तरों के साथ जो लिंक रखता है, तो यह रिवाज आप घटाओं, इंडस्ट्रीज को बाहर दूर ले जाओ। दिल्ली के नजदीक न आने दो। जितनी आ चुकी हैं वह आ गई अब बाकी न आने दो। जो आस पास के अर्बन एरियाज हैं उनके लिये इलैक्ट्रिक ट्रेन बढ़ाओं और जो लाल डोरे हैं उसको बढ़ाओ। गांव का आदमी एक्सटेंशन नहीं कर सकता ऊपर नहीं हो सकता है इसके लिये तो मौत आ गई। अगर एक आदमी के परिवार में पांच लड़के हैं तो वह उसी मकान में रह जाये बाहर वह नहीं बना सकता। इसलिए आप लाल डोरा बढ़ाओ और ताकि उसका एक्सटेंशन हो सके और वह भी अपना घर-बार आबाद कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का शुरू से जो भाषण था उसमें कहा है कि इनकी बात ही मैंने समर्थन में कही है लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं सदस्य बोले है विशेषकर हरियाणा के हमारे मित्र बोले इन्होंने कह तो दिया है कि बिल का समर्थन करते हैं लेकिन सबने अपनी-अपनी बात ऐसे ढंग से रखी हैं चाहे हरियाणा हो, यू० पी० हो, राजस्थान हो, इसमें किसानों की जो जमीन आती है उसके मुआवजे के बारे में डी०डी०ए० के बारे में ख्याल करके आगे कार्यवाही चलनी चाहिये। हमारे मित्र शांति पटेल ने स्काई स्क्रेपर्ज के बारे में कहा। राय सीना रोड पर जो फाइव स्टार होटल बन रहे हैं मेरे ख्याल से दो तीन क्वार्टर तोड़ कर बनाये गये। कौन सी ऐसी आवश्यकता थी दिल्ली में जो बाहर से आते हैं दूर से आते हैं कि उनके ठहरने के लिये टूरिस्ट के लिये ऐसे फर्स्ट क्लास एरिया को तोड़ कर फाइव स्टार होटल स्काई स्क्रेपर्ज इस एरिया में बनाए जाएं? इसलिये स्काई स्क्रेपर्ज के बारे में जरूर सोचा जाए ताकि यह दिल्ली में और न बढ़ें।

ग्रीनरी के बारे में कहा गया है कि इसका भी ख्याल किया जाए। हमारे सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि दिल्ली शिकागो न बने। क्योंकि दिल्ली के दायें आगरा का इलाका हैं मध्य प्रदेश का इलाका है वहां से चोरी कर के गुण्डे जो आते हैं वे एम० पीज० के निवासों में आकर ठहर कर आश्रय प्राप्त करते हैं तो ऐसा न हो कि दिल्ली शिकागो बने। यह शर्म की बात है कि एम०पीज० के पास यह आश्रय प्राप्त करते हैं। खेती की जो जमीन है। जहां पर गेहूं पैदा होती है उसके बजाय अगर बंजर जमीन का डव-

[श्री शंकर सिंह बाघेला]

लपमेंट किया जाए तो यह अच्छा सुझाव है। जिस किसान की जमीन इसमें ली जाती है उस किसान के कुटुम्ब को कम से कम एक आदमी को नौकरी उसमें मिलनी चाहिये। यह सुझाव अच्छे हैं। हमारे कोशिक जी ने भी कहा कि किसान को मार्किट रेट पर जमीन की कीमत मिलनी चाहिये। श्री मट्टू ने कहा कि रिपोर्ट इन टाइम आनी चाहिये। बंसल साहब ने कहा कि दिल्ली का हैफाजर्ड तरीके से जो डवलपमेंट होता है वह न हो उसमें पानी और ट्रान्सपोर्ट की पूरी सुविधा हो। श्री बंसल जी ने कहा है इसमें जो राज्यों का हिस्सा आता है वह पूरा करने में पीछे न हटें। पोल्यूशन का ख्याल किया जाए। एक सबसे अच्छी बात मलिक जी ने कही जो इन्होंने हमारे ढंग से रखी कि जो जमीन एक्वायर होती है साल तक इसका मुआवजा किसानों को नहीं मिलता है। जो नयी रोशनी की बात उन्होंने कही वह नयी रोशनी कहां है पता नहीं है लेकिन गांव का किसान तो मर रहा है। आप ट्यूबवैल लगाने से खेती के लिये दूसरे ट्यूबवेल्ज में पानी नहीं रहता है यहां से पानी हटाया जा रहा है। बिजली भी किसानों को पूरी सप्लाई हो। दिल्ली की जो हालत है दिल्ली के अन्दर जितने गांव आते हैं उनके डवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिये। अभी हमारे जितने भी दूसरे सदस्य हैं वर्मा जी ने भी जो बातें कहीं है इनके सब के कनक्लूजन में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली का डवलपमेंट नहीं हो रहा हैं इसके लिए सब से बड़ी बाधा यह है कि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट है, कारपोरेशन है, डी०डी०ए० है, एन० डी० एम० सी० है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में अस्सेम्बली के स्टेटस वाली बात को आप स्वीकार करेंगे और दिल्ली को असेम्बली का स्टेटस देंगे जिससे यह सारे कुनबे मिट कर एक अस्सेम्बली के नीचे आ जाएं और डवलपमेंट की बात एक ही अथार्टी को करनी चाहिये। इसलिए हम आपसे एक पूरे अधिकार वाली अस्सेम्बली जरुर डिमांड करते हैं। और यह जो रीजनल प्लानिंग बोर्ड है इसमें इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए कैपिटल रीजन में। झुग्गी-झोंपड़ियां बढ़ती हैं इसलिये कि लोग वोट बैंक बनाते हैं। यह पूरा का पूरा वोट बैंक होता है और गवर्नमेंट और पोलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं इनके प्रोटेक्शन में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती हैं, अन्य बातें होती हैं। बाम्बे में यही हुआ बैकबे रिक्लेमेशन के डेवलपमेंट में। वहां मास्टर प्लान बना था लेकिन कई सालों तक मास्टर प्लान एक्जीक्यूट नहीं हो पाया। करोड़ों रुपया खर्च हुआ। जब कोर्ट ने स्टे दिया तब जाकर बात रुकी। तो यह जो आज रिजर्वेशन में जमीन लेंगे, इसमें डी०डी० ए० भी कुख्यात है। कई चीजों के लिये है, जैसे जमीन की हेराफेरी के लिये और अन्य करप्शन्स के लिये। तो इस मास्टर प्लान में आप के रिजर्वेशन की जमीनों की हेराफेरी न हो, रिजर्वेशन बार-बार चेंज न किया जाये, टाइम बाउंड प्रोग्राम आदि ऐसी बातें ध्यान में लायें और इसके अलावा दिल्ली को असेम्बली स्टेटस देने की बात को फिर से दोहराकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि सरकार अच्छे सुझावों को स्वीकार करे। जो कमियां हैं उनके लिये मेरा विरोध है और इसलिये उनको ध्यान में रखकर जन आकांक्षाओं की जो बात है उनकी पूर्ति का आप आश्वासन दें। धन्यवाद।

श्री अब्दुल गफूर : मोहतरम वाईस चेयरमैन साहब, अभी हमारे दोस्तों और जितने लोगों ने इस बिल के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया, खासतौर से वर्मा जी और हमारे माननीय मूधर साहब, हमारे काश्मीर के दोस्त तथा इधर हरियाणा के अनेक चौधरी साहेबान ने, तो मैं समझता हूं कि कुछ सभी की स्पीचेज में जिन चीजों का ख्याल किया गया कि किस-किस चीज के मुताल्लिक इन लोगों को फिक्र और परेशानी है, वे इस तरह हैं। मैं एक-एक को

पढ़कर सुनाता हूं। कुछ मैंने नोट किये हैं और हो सकता है कि कुछ न नोट किये हों। पहला है वाटर, दूसरा है सैनीटेशन, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट फिर शेल्टर, रोड्स, ग्रीनबैल्ट, कम्पेनसेशन ड्रिले और अन्य हैं प्ले ग्राउन्ड्स, स्कूल्स, हास्पिटल्स आदि। तो मेरी समझ में यह है जितने मैंने नोट किये हैं। मेरे दिमाग में भी यह बात है और मैं समझता हूं कि अगर ये चीजें न हों तो फिर इस एन०सी०आर० बोर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहियें (व्यवधान) हास्पिटल्स भी हैं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। यह सारी चीजें हैं जो एक इंसान की जिंदगी की जरूरियात हैं। कुछ तादाद बढ़ जाती है तो स्कूल्स की भी जरूरत पड़ती है हास्पिटल्स की जरूरत पड़ती हैं रोड्स की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें अगर इस नेशनल कैपिटल प्लान बोर्ड में न हों तो इस बिल के पेश करने का कोई मतलब नहीं है।

दूसरी चीज एक मेरे दिमाग में आज से नहीं पहले से है। एक क्वेश्चन भी हाउस में डी०डी०ए० के मुताल्लिक आया था, कुछ कम्पेनसेशन के मुताल्लिक था तो वह भी मेरे दिमाग में है कि आखिर जो हम कम्पेनसशन किसानों को देते हैं और जिस रेट से वे दूसरों को जमीन देते हैं, यह ठीक है कि वह कहेगा इसमें डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कोई मशीनरी ऐसी होनी चाहिये कि जो कम्पेनसेशन हम दें और जितना उनका डेवलपमेंट हो तो दोनों का रेशियो निकलने के लिये कुछ करें। नहीं तो आप जो इतना ले लेते हैं और सुओ मोटो एक तरीके से कम्पनसेशन कम देते हैं तो क्या आपको मुनाफा हुआ, कितना आपने बचाया और कहां तक इस चीज को आगे बढ़ाते जाइयेगा, इस पर एक रोक लगनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों का आप लोगों ने जिक्र किया है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।

तीसरा, हमारे मित्र जो पीछे बैठे हुये हैं हरियाणा के, श्री सुल्तान सिंह, इन्होंने जिक्र किया एक बात का, तो मैं भी जब कभी-कभी कलकत्ता जाता हूं तो देखता हूं कि बर्दवान से हावड़ा स्टेशन फिर दूसरे डाइरेक्शन से तीसरे डाइरेक्शन से 40-40, 50-50 मील से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं बच्चियां आती हैं कलकत्ता पढ़ने के लिए वर्कर्ज आते हैं काम करने के लिये। तो दस बजे, ग्यारह बजे अगर आप हावड़ा स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि कुम्भ का मेला लगा हुआ है, लेकिन बारह बजे के बाद वह खाली हो जाता है। ठीक उसी तरह से 4-5 बजे से लेकर आठ बजे रात तक हावड़ा स्टेशन पर जगह नहीं मिलती है क्योंकि लोग अपने घरों को जाते हैं। तो यह चीजें —अगर यह नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड—अगर आपके सोनीपत की तरफ या खुर्जा की तरफ जाएं, यह सारी जगह जब तक हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेंस से कनैक्ट नहीं होंगे, तो मैं समझता हूं कि जो दबाव दिल्ली पर बढ़ रहा है, वह दबाव आगे बढ़ता ही जायेगा। मेरे रोकने से भी नहीं रुकेगा, आप भी चाहिएगा, तो उसको नहीं रोक पायेंगे क्योंकि यह कैपिटल है, यहां बहुत से लोग सेमि-गवर्नमेंट इंस्टि-ट्यूशंस और गवर्नमेंट के आफिसेज में काम करने के लिये आते हैं, नौकरी

[श्री अब्दुल गफूर]

करने के लिये आते हैं। फिर जो कन्ज्यूमर्ज गुड्स हैं, यह सब खरीदने, ट्रांसपोर्ट जरूरी चीजें हैं उसमें।

तो जहां तक ग्रीन बेल्ट का ताल्लुक है यह तो आप जानते हैं कि हम लोगों की भी पालिसी है और हमारे अपोजीशन की भी कि साहब इसको बर्बाद नहीं करना चाहिये, इसको जरूर रहना चाहिये और जो भी यहां हम एरिया डेवेलप करते हैं, अगर वहां पर दरख्त नहीं हों, और ग्रीन बेल्ट नहीं हो, तो गर्मी के दिनों में आप पता चलाइयेगा कि उस इलाके में रहने की तबियत चाहती है कि नहीं।

तो यह चीजें तो एकदम जरूरी हैं, असेंशल हैं। आइन्दा का प्लान बनने के वक्त इनका ख्याल सभी को रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी मेम्बर हो।

हमारे डा० शान्ति गी० पटेल साहब ने कुछ मेगनेट सेंटर का जिक्र किया है, वह इस बिल में हैं। उन्होंने एक चीज का, जो मैं समझता हूं कि अभी तो हमको आए हुए बहुत कम अरसा हुआ है, बड़े ऊंचे-ऊंचे मकानों के मुतल्लिक जिक्र किया कि उनको नहीं होना चाहिए। तो यह बात तो ठीक है कि ऐसी जगहों में नहीं होना चाहिए जहां लोगों को देखने में तकलीफ हो, लेकिन कुछ को तो जरूरत पड़ती है, जैसे होटल वगैरह बनते हैं क्योंकि यह सिर्फ इस मुल्क हिंदुस्तान के ही लोग कैपिटल में नहीं आते हैं, बल्कि जैसे आप लंदन, शिकागो और न्यूयार्क जाते हैं, चाहे यहां के लोग जाते हैं, चाहे उधर के भी लोग जाते हैं, तो थोड़ी उनके ठहरने वगैरह के लिए उनकी हैसियत से—हमें अपने स्टेण्डर्ड से जांच नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह ठीक है किसी ऐसी जगह पर नहीं हों, जहां पर कोई दूसरे मकानात ऐसे हों कि जहां पर उनसे उनको खास तकलीफ हो।

DR. SHANTI G. PATEL: I do not want to interrupt the honourable Minister, but the point that I had raised was that within the Delhi limits, particularly in Parliament Street its adjoining streets and C^nnaught Place, these skycrapers are coming up. want to ask whether you would take a firm stand and say "No more. They can be at other places—I have no objection. Dont spoil this capital city. That is all that I have submitted.

श्री अब्दुल गफूर: थैंक यू। यह सब चीज देख कर, डिसीजन जैसा आपने कहा कि यह तो आपकी सजेशन है, अच्छी सजेशन है। मैं इस पर गौर करूंगा और गौर ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने दूसरे दोस्तों से भी इसके मुतल्लिक पूछ करके इस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यह तो इतनी चीजों का मैंने बताया।

दूसरी चीज, जो मैंने सब की स्पीचेज में देखी कि कहीं न कहीं बू आती थी डी०डी०ए० के बारे में। मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं जब से यहां आया हूं,

मुझे समझ नहीं आता है कि यह चीज सुनते-सुनते कहीं मेरा दिमाग भी खराब न हो जाए। यह चीज जो है, यह ठीक है कि . . .

एक माननीय सदस्य : खुदा आपकी खैर करे।

श्री अब्दुल गफूर : ठीक है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन के जरिये से जो मालूमात मुझ को मिली और जो उसमें चीजें आईं वह बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है और मैं आप को वायदा दिलाता हूं कि मैं इसको इरैडिकेट करने के लिए—मैं यह नहीं कहता कि मैं सारी चीज को हल कर दूंगा लेकिन मैं उसको इरैडिकेट करने के लिए जो भी मुझ में ताकत है मैं उसको लाने के लिए आप लोगों की मदद से उसको करूंगा। मैं यह नहीं कहता कि हफ्ते दो हफ्ते में यह हो जाएगा लेकिन आप का भी कर्तव्य है और आपका भी फर्ज है। मेरे डिपार्टमेंट से जब कोई क्वेश्चन करता है तो मुझ बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक इनसान के लिए चाहे किसी भी जगह पर वह रहे कोई भी रहे उसके लिए नामुमकिन है कि वह सारी चीज का पता लगा सकता है। यह सभी लोगों का है और हमारे सभी आनरेबल मेम्बर विजिलेंट हैं और खास करके जो दिल्ली के अगल-बगल में रहते हैं चाहे दिल्ली में ज्यादा बूदोवास जिनका है उनको काफी मालूमात है। मैं उनकी मालूमात से जहां तक भी हो सकेगा मैं उसको करने के लिए कोशिश करूंगा। तो यह चीज मैंने बताई। जो सेन्ट्रल थीम हमारे दोस्तों के स्पीचेज में था और कंपेनसेशन के बारे में भी जिक्र किया, दूसरी चीज आपके सवाल का भी जवाब आ गया। अब रह गया कि इस रीजन में विलेजज हैं। डवलपमेंट के लिये मान लिया कि दिल्ली बहुत खुबसूरत शहर है। लोग भी कहते हैं कि दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है। मुझे बाहर जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। एक दफा गया। मैंने दो कैपिटल देखी, एक मास्को में और दूसरा बलगारिया में, सोफिया में गया। लेकिन दिल्ली भी कम खूबसूरत नहीं है अगर जामा मस्जिद की तरफ चले जायें तो दूसरा नजारा भी मिलता है। मैं समझता हूं कि इसकी खूबसूरती कायम रहे और उसकी खूबसूरती में आगे कोई खराबी न हो। उसी को कायम करने के लिये मैं समझता हूं कि यह बिल जो अभी आपके और इस हाउस के सामने है इसका मेन मतलब और सारांश जो है, दिल्ली की खूबसूरती ही नहीं बल्कि अब हमारी दिल्ली जो और भी आगे बढ़े और उसकी खूबसूरती वैसे ही कायम रहे। मैं समझता हूं कि इसमें जितने भी सुझाव आये हैं, यह कोई पोलिटीकल चीज नहीं है कि इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, ऐसी कोई चीज नहीं, बल्कि किसी भी पार्टी से कोई भी अच्छा सुझाव आये तो मैं समझता हूं कि मेरे लिये यह कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि मैं उसको मानूं, जैस हमारे काश्मीर के माननीय मैम्बर साहब ने कहा कि बोर्ड का टर्मज और दूसरा एकाउन्ट्स के बारे में कहा कि उसका आडिट हो, मैं आपके सुझाव से बिलकुल सहमत हूं। जब एकाउंट की ही प्राब्लम हल नहीं होगी तो उससे क्या हालत हो जायेगी यह आप अनुमान नहीं कर सकते। इसलिये यह जो आपने कहा कि उसके हिसाब में और उसके मैम्बर्ज में जैसे इलैक्ट्रिसिटी बोर्डज के, सारे राज्यों में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो एक एकाउन्ट्स मैम्बर बहुत ही अच्छे कैलिबर का उसमें रहता है, जो सारी चीजों को देखता है, खरीदने में या और चीजों में कहीं कोई गडबड़ी नहीं हो। इसलिये यह जो बोर्ड बनेगा उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि इसके मैम्बर्ज जो बने चाहे इस बोर्ड के बाद भी जो अभी प्लानिंग कमेटी वगैरह बनेगी उसमें ज्यादा से

[श्री अब्दुल गफूर]

ज्यादा एक्सपर्ट्स को रखा जाये। और इन सारी चीजों को देख करके कि ये चीजें खराब नहीं हों, जो चीज मेरे सामने है और आप लोगों के भी सामने है और जितनी इसमें खराबियां आयी तो मेरे लिये और आप लोगों के लिये भी, आप भी कह सकते है कि इन खराबियों को अगर हम कम नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे और आगे भी खराब ही करते जायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस बिल के लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ . . . (**व्यवधान**)

एक **माननीय सदस्य :** दिल्ली असेम्बली का ?

श्री अब्दुल गफूर : दिल्ली असेम्बली का तो मेरे कब्जे में नहीं है कि मैं इसका एलान कर दूं। लेकिन आपने देखा होगा कि राजीव गांधी के यहां कोई डैलीगेशन आया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर के यहां और वह इस चीज पर विचार करेंगे और वह जो कुछ करेंगे वह आपको पता चल जायेगा। लेकिन यह भी है कि दिल्ली में असेम्बली हो या न हो। . . . (**व्यवधान**)

एक **माननीय सदस्य :** फिर तो और आगे को ले जाइयेगा।

श्री अब्दुल गफूर : उनके सवाल का जबाब हमने कहां कि मेरे अख्तियार में नहीं है। . . .(**व्यवधान**)

[**The Vice-Chairman (Shri Santosh Kumar Sahu)** in the Chiar].

श्री सुल्तान सिंह : गांव के लाल डोरे के बारें में ? . . . (**व्यवधान**) गांव की जो लाल डोरा है ?

श्री अब्दुल गफूर : वह तो चीज जब यह डिवैलपमेंट आप देखते ही है कि इसका नाम ही वही है, उसमें तो सारी चीजों पर गौर किया जा जायेगा।

श्री वीरेंद्र वर्मा : बोर्ड मे किसान भी होना चाहिये।

श्री अब्दुल गफूर : किसान के बारें में मैंने कह दिया है। उसके बारे में आप जितना सोचते है मैं भी उससे कम नहीं सोचता। आप तो जरा से बड़े किसान होंगे, परन्तु मैं जरा छोटा किसान हूं, इसलिये मुझे उसकी दिक्कतों का ज्यादा पता है। मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वह मेरे दिलों दिमाग में है। मैं उन सारी चीजों का ख्याल रखूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मैम्बर से कहूंगा कि कम से कम मेरी बातों को सुनने के बाद मेरी यह आपसे अपील होगी कि आप अपने रेजोल्यूशन को वापस ले लीजिये ताकि यह बिल पास हो जाए।

डा० शांति गो० पटेल : आपने अच्छा जबाब दिया है। लेकिन जरा दो बातों की और सफाई देंगे, तो अच्छा रहेगा। एक तो मैंने यह सुझाव दिया था कि यह जो बोर्ड बनेगा, या प्लानिंग कमेटी बनेगी, उसके अंदर आऊट साइड एक्सपर्ट को रखना चाहिये।

श्री अब्दुल गफूर : एक दम। जब तक इसमें एक्सपर्ट नहीं रहेंगे, तो मसलन . . . (**व्यवधान**)

डा० शांति गो० पटेल : आऊट साइड एक्सपर्ट न कि गवर्नमेंट एक्सपर्ट ?

श्री अब्दुल गफूर : माना कि मैं हाउसिंग का मिनिस्टर हूं और मैं वहां रहता हूं। तो मैं अपनी बात कह सकता हूं, सुझाव नहीं दे सकता वह, जो कि एक एक्सपर्ट दे सकता है। मैं तो राय दे सकता हूं। इसलिये एक्सपर्ट का होना जरूरी है।

डा० शांति गो० पटेल : दूसरी बात यह है, जिसकी मैं सफाई चाहूंगा। चूंकि मेरा अनुभव रहा है बंबई में। जैसे वह

[श्री अब्दुल गफूर]

न्यू बांबे बोर्ड बना, पन्द्रह साल पहले यह बना । तो उसको छोड़कर एक बांबे रिक्लमेशन का डवलपमेंट किया गया और उसमें काफी करप्शन हुआ । तो यहां भी जो प्लान बनेगा, उसके अंदर करप्शन न हो, इसके लिये क्या इंतजाम करेंगे ? (व्यवधान) अरे, यहां दिल्ली में डी० डी० ए० में भी करप्शन हुआ है भाई । तो वह न हो, इसलिये यह बात है ?

श्री अब्दुल गफूर : मेरी जिन्दगी सारी करप्शन के खिलाफ ही लड़ने में गुजरी है । मैं तो समझता हूं कि कोशिश करूंगा कि यह करप्शन न हो । अगर फिर भी हो जाए, तो मेरे जिम्मे क्या है ?

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप जरा यह बता दें कि जमीन लेने से पहले किसानों को उस का मुआवजा दे देंगे क्योंकि मुआवजे के लिये काफी लंबा समय इंतजार करना होता है ? दूसरा यह कि जमीन एक्वायर उस वक्त करें, जब कि उस जमीन का उपयोग करना हो क्योंकि बीस-बीस साल जमीन लिये हुए हो जाते हैं । इससे नुकसान होता है । तो इसे देखेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : यह जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो इससे भी आगे जाने के लिये तैयार हूं । अगर आपने उसकी जमीन ले ली और उसकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया तो जितनी उसकी उपज पैदावार होती थी वह जो इंकम होती थी, वह गवर्नमेंट को देनी होगी या उसको देनी होगी, जिसने जमीन एक्वायर की है । यह कौनसी ऐसी चीज है ?

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Mr Vice-Chairman, Sir, May I draw the attention of the Hon'ble Minister. Since from my party none have spoken, I want to utilise this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN: I (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Only clarifications. No. speeches.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : Mr Vice-Chairman. Sir, i do not want delay the passage of the Bill, I want to draw the attention of the Hon'ble Minister to the several reports of the Public Accounts Committee on Delhi Administration and D.D.A. Normally the reports of the Public Accounts Committees do not reach the level of the Ministers. Regarding land transactions, the question of power of attorney—how they are illegally utilised. All these have been mentioned in detail in the Public Accounts Committee: Report. I, very earnestly request the Hon'ble Minister to go into these reports and draw his own conclusions. If found acceptable, kindly implement them. I have great faith in the Hon'ble Minister because of his simplicity in these matters.

श्री अब्दुल गफूर : ओके, सर । आप तो जानते हैं कि ओथ लिये हुए कितने दिन हुए हैं और उसके बाद यह पालियामेंट का सेशन । सेशन खतम होने के बाद आप मेरे पास आइएगा, मैं सब रिपोर्ट बुलाकर के आपको बता दूंगा ।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: 1 am very glad to hear to hear about it.

श्री वीरेंद्र वर्मा : एक क्लेरीफिकेशन केवल आधे मिनिट की चाहूंगा । वह यह कि किसानों की जब जमीन एक्वायर होती है तो एक्वायर होने के बाद अगर तीन साल तक या कितने साल तक जिस परपज के लिये एक्वायर हुई है, उसका यूटीलाइजेशन न हो, तो वह उसे रिवर्ट होगी या नहीं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl SANTOSH KUMAR SAHU): Mr Shanker Sinh Vaghela, would you like to withdraw.

SHRI SHANKER SINH VAGHELA I am not withdrawing.

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Then, I will put it to vote.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): The question is:

"That this House disapproves of the National Capital Region Planning Board Ordinance, 1984 (No. 11 of 1984) promulgated by the President on the 19th October, 1984."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Now 1 will put the motion to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the constitution of a Planning Board for the preparation of a plan for the development of the National Capital Region and for co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for the control of land-uses and development of infrastructure in the National Capital Region so as to avoid any haphazard development of that region and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration." *The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SANTOH KUMAR SAHU): We shall now take up clause-by-clause consideration of the BUI.

Clauses 2 to 41 *and the Schedule Were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.*

SHRI ABDUL GAFOOR: Sir, I move: "That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir,. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): You have already spoken.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: This is the third reading. I want to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Please finish within one minute.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: This is the third reading. I had raised certain technical questions and I will request the Minister to take into consideration those technical questions with regard to the composition of the board, the chairman of the committee not being below the rank of Additional Secretary and so on. He should kindly take them into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): He has already replied to that in his speech. So he may now take note of it. The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MESSAGES FROM LOK SABHA

I. The Representation of the People (Amendment) Bill, 1985

II. The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 1985

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

(I) "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Representation of the People (Amendment) Bill 1985, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd lanuary, 1985."

(ID "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 1985, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd January, 1985."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

ANNOUNCEMENT RE. EXTENSION OF CURRENT SESSION OF RAJYA SABHA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, we had promised to make a statement about the extension of fho